कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– 684 / प्रवर्तन / स0सु0 / 1–8(5) / 2018 दिनांक 23 फरवरी, 2018

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त आबकारी,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।
7. रीजनल ऑफिसर,
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
58 / 37, बलबीर रोड़,
डालनवाला, देहरादून।
8. कमान्डेट,
सीमा सड़क संगठन,
शिवालिक परियोजना, आई0डी0पी0एल0,
वीरभद्र, ऋषिकेश, देहरादून।

विषयः <u>उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अवर सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–आरटी25039 / 3 / 2016–आरएस दिनांक 02–01–2018 के अन्तर्गत रिट याचिका संख्या–295 / 2012 एस0 राजशेखर बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30–11–2017 को पारित आदेशों की प्रति संलग्न करते हुए, मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने और कृत कार्यवाही की आख्या से भारत सरकार को भी अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–11–2017 की प्रति सभी सम्बन्धित विभागों को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12–12–2017 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों में अन्य आदेशों के अतिरिक्त राज्य सड़क सुरक्षा नीति के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैंः–

Most of the State Governments and Union Territories have already framed a Road Safety Policy. Those that have not framed such a policy namely Assam, Nagaland, Tripura, Delhi, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands, must now formulate the Road Safety Policy by 31st January, 2018. All States and Union Territories are expected to implement the Road Safety Policy with all due earnestness and seriousness.

कार्यालयः कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
दूरभाषः 0135–2608105, 2608106, फैक्सः 2608108 ई–मेलः rscelluk@gmail.com

3— मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में पुनः अनुरोध है कि अधिसूचना संख्या—98/IX—1/26/2015 दिनांक 09—02—2016 के अन्तर्गत प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति में आपके विभाग से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कराने का कष्ट करें। सड़क सुरक्षा नीति की प्रति परिवहन विभाग की वैबसाईट transport.uk.gov.in के अन्तर्गत Road Safety पृष्ठ पर उपलब्ध है।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/चिकित्सा/आबकारी/शहरी विकास/शिक्षा/लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्यालयः कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
दूरभाषः 0135—2608105, 2608106, फैक्सः 2608108 ई—मेलः rscelluk@gmail.com